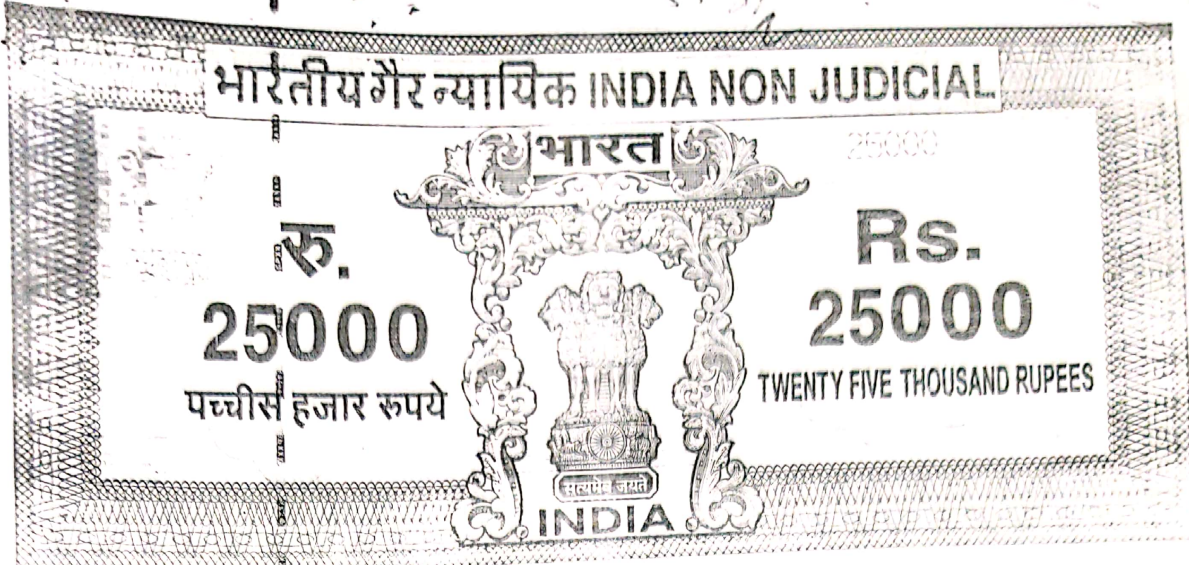




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

योगेश कुमार
कोषाधिकारी

26 MAY 2013

कोषागार, आगरा



संजय शर्मा
एडवोकेट
सदर तहसील, आगरा



य. शर्मा
एडवोकेट
सील, आगरा

ओउम् नमः शिवाय

किस्म दस्तावेज
भूमि का प्रकार
वार्ड/परगना
मौहल्ला/ग्राम
सम्पत्ति का विवरण

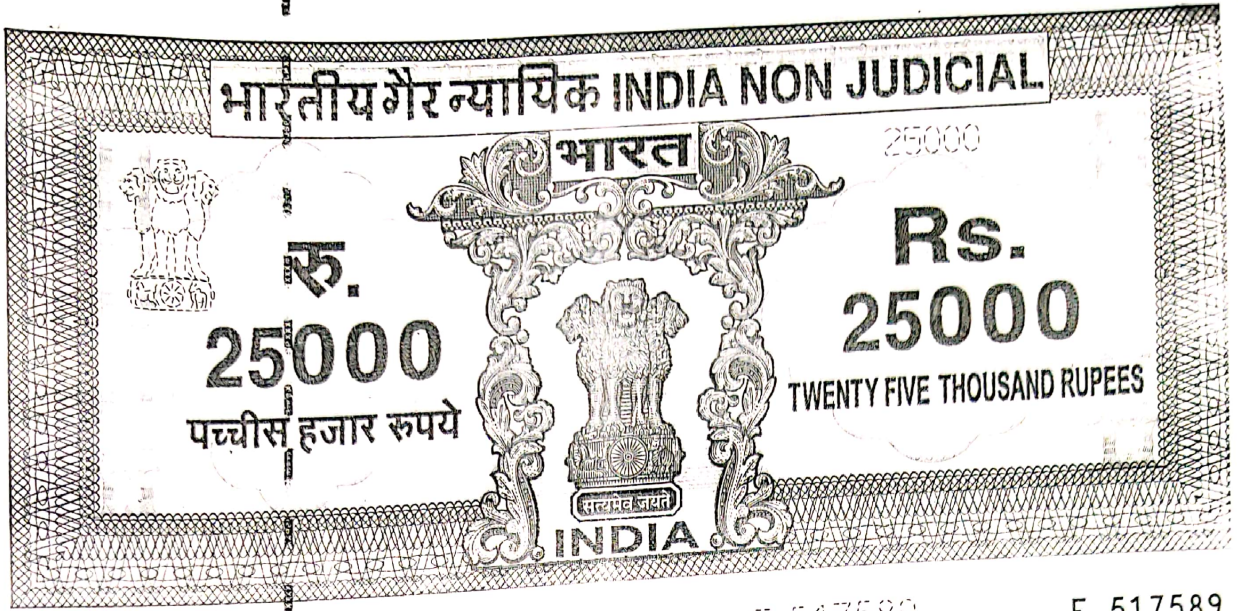
मापन की इकाई
सड़क की स्थिति

विक्रय पत्र वैनाना
आवासीय खाली प्लॉट
सदर तहसील आगरा।
मौजा बमरौली कटारा तह0 व जिला आगरा
जो कि एक किता प्लॉट व तादाद 500 वर्गगज
यानि 418.05 वर्गमीटर पैमाईशी 48 फुट 4 इंच
वाई 93 फुट खसरा सं0 234 जो संलग्न नक्शे में
व रंग लाल से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है
वर्गमीटर
रास्ता 25 फुट चौड़ा

Pia

Sh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 517589

E 517589

योगेश कुमार

कोषाधिकारी

26 MAY '20

कोषाधिकारी, आगरा

2

जमीन की सर्किल रेट

प्रतिफल की धनराशि

सरकारी मालियत

स्टाम्प

अन्य विवरण

5200/-रुपया प्रति वर्ग मीटर
जो पृष्ठ सं० 15 पर अंकित है।

30,00,000/-रुपया।

21,74,000/-रुपया।

2,10,000/-रुपया। केता पुरुष पर।

विक्रीत प्लॉट कार्नेर व दो रास्ते व पार्क
फेस का नहीं है तथा किसी तरह का
कोई निर्माण नहीं है।

निम्न सीमांकित —

पूरब—

पश्चिम—

उत्तर—

दक्षिण—

जमीन भगवती गौतम
रास्ता 25 फुट चौड़ा
प्लॉट अनुराग गौतम
जमीन ध्रुव कुमार

P/2

dy



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 517588

E 517588

योगेश कुमार
कोषाधिकारी
26 MAY '06
कोषागार, आगरा

3

हमकि-

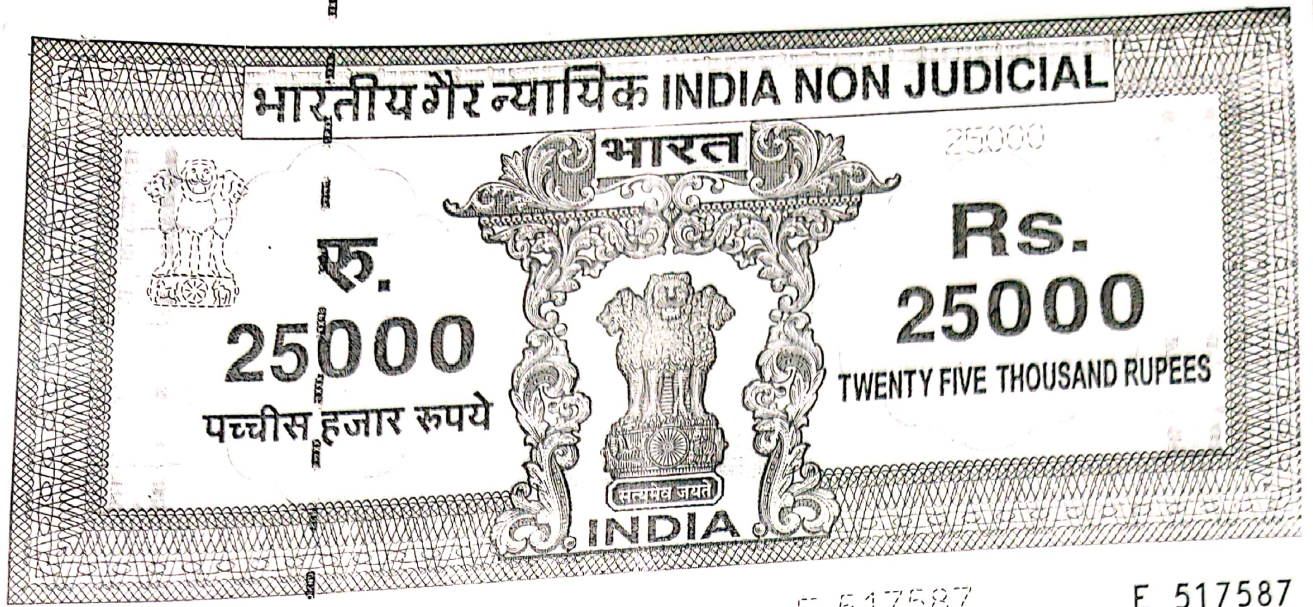
श्रीमती रन्जना राना पत्नी श्री उदयपाल सिंह नि० बमरोली कटारा तह० व
जिला आगरा — प्रथम पक्ष विक्रेता।

एवं

अनुराग गौतम पुत्र श्री राधा रमन गौतम नि० 37ए/322ए दुर्गा नगर
दयालवाग तह० व जिला आगरा — क्रेता द्वितीयपक्ष। PAN No. AJJP68800E

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

योगेश कुमार
कोषाधिकारी

26 MAY 20

कोषागार, आगरा

4

प्रलेख :- विदित हो कि उपरोक्त विक्रीत प्लॉट को प्रथम पक्ष ने वजरिये बैनामा नविशता उदयपाल सिंह से दि० 3/12/10 ई० जो कार्यालय उपनिबंधक आगरा में वही नं० 1 जिल्द सं० 3479 पेज नं० 289/330 नं० दस्तावेज 10764 पर दर्ज हुआ के प्राप्त हुआ तत्पश्चात प्रथम पक्ष उक्त प्लॉट की मालिक व स्वामी चली आती है, सिवाय प्रथम पक्ष के अन्य कोई दीगर हकदार व हिस्सेदार किसी तरह का प्लॉट विक्रीत में नहीं है जो माने किसी तरह के इंतकाल वगैरा का होवें और उक्त प्लॉट आज तक हर तौर के कर्ज व वार व भार व बंधक व हिवै व मुआहिदा वैं व समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों से पाक व साफ है और किसी दीगर व्यक्ति के हक में कोई इकरारनामा नहीं किया है वरन हर प्रकार से पाक व साफ है अब प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट का विक्रय करना वास्ते जरूरत व मिलने कीमत माकूल के स्वीकार है।

Pan

Ans



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 517586

E 517586

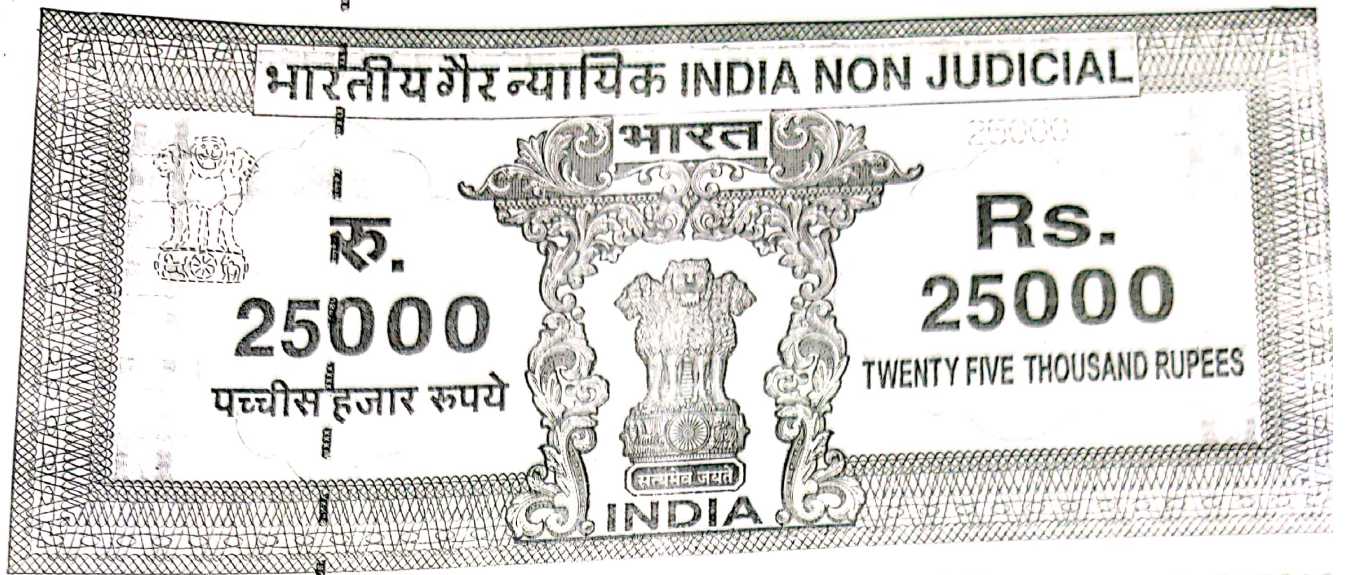
योगेश कुमार
कोषाधिकारी
26 MAY 2017
कैथनगर, आगरा

5

लिहाजा में विक्रेता प्रथम पक्ष अपनी राजी व खुशी से खूब सोच समझकर व विना वहकाये व सिखाये व बिना किसी दवाव नाजायज के स्वस्थ चित्त मन बुद्धि व इन्द्रिय के विकीत प्लॉट व तादात 418.05 वर्गमीटर कुल को मय जुमला हक हकूक व दाखिली खारिजी व बिना छोडे किसी हक के गुडटाईटिल के व एवज मुवलिंग 30,00,000/- तीस लाख रुपया कि आधे जिसके मुवलिंग 15,00,000/- पंद्रह लाख रुपया होते है मे वदस्त- अनुराग गौतम पुत्र श्री राधा रमन गौतम नि0 37ए/322ए दुर्गा नगर दयालवाग तह0 व जिला आगरा केता द्वितीय पक्ष को विक्रय किया और बेच दिया और कीमत का कुल धन प्रथमपक्ष ने द्वितीय पक्ष से नगद वक्त वैनामा समक्ष गवाहान प्राप्त कर लिये है। इस तरह अब प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष से उक्त प्लॉट की कीमत मे कुछ पाना शेष नही रहा और न ही आयंदा होगा।

Pia

dy



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 517585

E 517585

योगेश कुमार
कोषाधिकारी
26 MAY 2013
कोषागार, आगरा

6

लिहाजा कब्जा व दखल विक्रीत प्लॉट पर केता द्वितीय पक्ष का करा दिया और कतई मालिक मुस्तकिल काविज व दखील बना दिया और अब केता द्वितीय पक्ष को पूर्ण हक व अधिकार है कि वह विक्रीत प्लॉट से वहैसियत पूर्ण स्वामी के जिस प्रकार चाहें लाभांवित होवे उसमे निर्माण करे व खुद आबाद हो या किराये पर उठावे या रहन व वैय वगेरा जो चाहे सो करे कुछ उज्र न होगा तथा खरीदारा अपने नाम का नामांकन सम्बंधित विभाग मे जरिये बैनामा हाजा के दर्ज कराले कुछ उज्र न होगा।

[Signature]



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 517584

E 517584

योगेश कुमार
कोषाधिकारी
26 MAY 2015
कोषागार, आगरा

7

अगर भविष्य में विक्रेता प्रथम पक्ष का कोई वारिस या उत्तराधिकारी या दीगर व्यक्ति किसी तरह का दावा व झगडा या वाद केता द्वितीय पक्ष से उक्त प्लाट की बावत करे या उसमें अपना हक व हिस्सा व अधिकार दायर या साबित करे या केता के कब्जा व अधिकार में बाधा डाले या व वजह दावेदारी या किसी दीगर वजह से कब्जा जुज व कुल द्वितीय पक्ष से निकल जावे या टाईटिल में कोई कानूनी नुक्श या कमी पायी जावे तो उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदायगी हर किस्म विक्रेता प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की है और आंयदा होगी। उक्त प्लाट के पूर्व बैनामा में प्लाट की सीमायें भूलवश गलत अंकित हो गयी थी जिसको सुधारने का एक तितम्मा/बंटवारा नोटरीसुदा दि० 27/5/15ई० को किया जा चुका है तथा सीमाओं के चारो ओर के सभी पक्षकारान/समस्त जमीन के सहखातेदारान के सहमति के हस्ताक्षर बतौर गवाहान के अंकित है तथा उक्त प्लाट ए०डी०ए० सीमा से बाहर है तथा धारा 143 के अंतर्गत अकषीयकीय भूमि घोषित की जा चुकी है। उक्त प्लाट प्रथम पक्ष ने उदयपाल सिंह पुत्र गिराज सिंह से कय किया था तथा उदयपाल सिंह ने गिराज सिंह पुत्र लखमी से कय की थी जो गिराज सिंह की पैत्रिक सम्पत्ति थी और उपरोक्त कुल जमीन में गिराज द्वारा विकय किये गये समस्त खातेदारों की सहमति उपरोक्त तितम्मे में सहमति/ गवाही कर दी गयी है।

Pja

Ans



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 517583

E 517583

योगेश कुमार
कोषाधिकारी
26 MAY 2015
कोषागार, आगरा

8

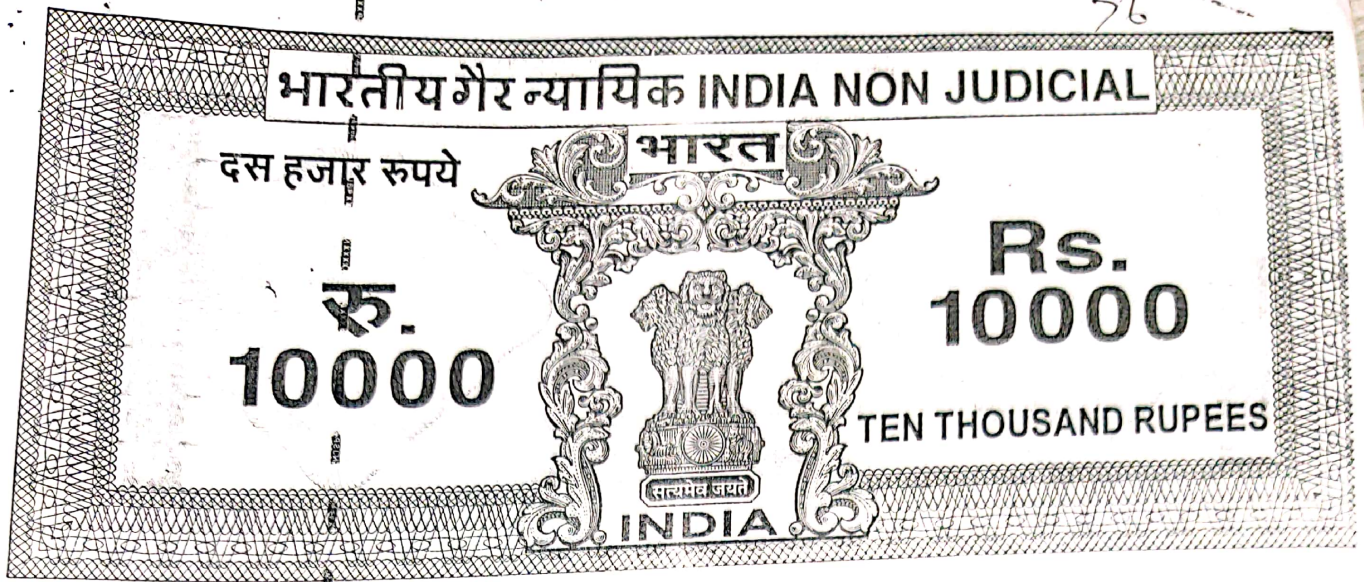
विक्रीत प्लॉट की जमीन नजूल व राजकीय आस्थान व देव स्थान की सम्पत्ति नहीं है। जिसको किसी वाद में अतिरिक्त भूमि धोषित नहीं किया गया है और न ही उसका कोई मुआवजा प्राप्त किया गया है।

P. J.



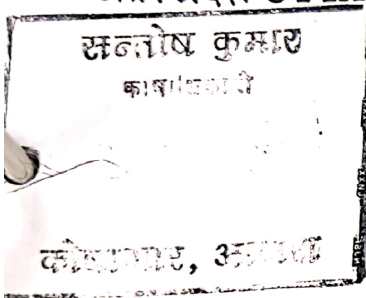
dy





459425

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



9

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया गया है कि सनद रहे और समय पर काम आवें तहरीर तारीख 28-05-2015 ई० व मसौदा संजय शर्मा एड० सदर तह० आगरा ने पक्षकारान के कथनानुसार व निर्देशानुसार तहरीर किया।

Pia

Ans



गवाह- गिर्राज सिंह पुत्र लखमी नि० बमरौली कटारा आगरा।

गिर्राज सिंह

गवाह- भगवती गौतम पुत्र श्री बृजमोहन नि० ग्राम सैनपुर जिला हाथरस।

BP

संजय शर्मा
एडवोकेट
सदर तहसील, आ

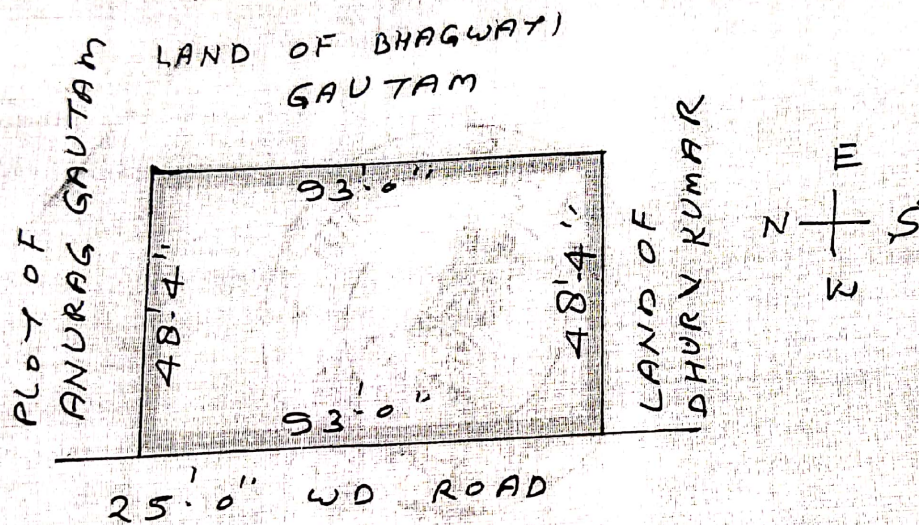
SITE PLAN OF PLOT AT MAUZA
BAMRAULI KATARA AGRA KH. N.-234

SELLER: SMT RANJNA RANA

PURCHASER: - SRI ANURAG GAUTAM

(SHOWN IN RED COLOUR)

AREA: - 500.00 SQ. Y
418.05 SQ. M



TRACED BY
✓

28/05/2015
 कोपागार, आगरा

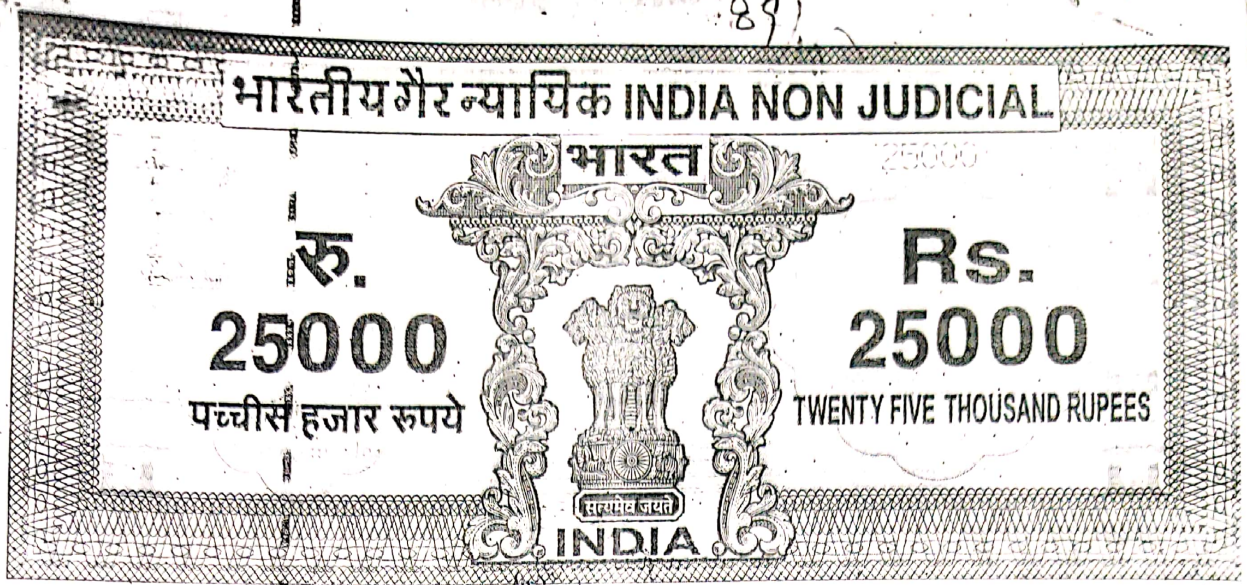
कोपागार, आगरा

आज दिनांक 28/05/2015 को
 वही सं. 1 जिल्द सं. 7160
 पृष्ठ सं. 301 से 320 पर क्रमांक 5513
 रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ० इसराइल खां प्र०
 उप निबन्धक तृतीय
 सदर आगरा
 28/5/2015





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 410179

E 410179



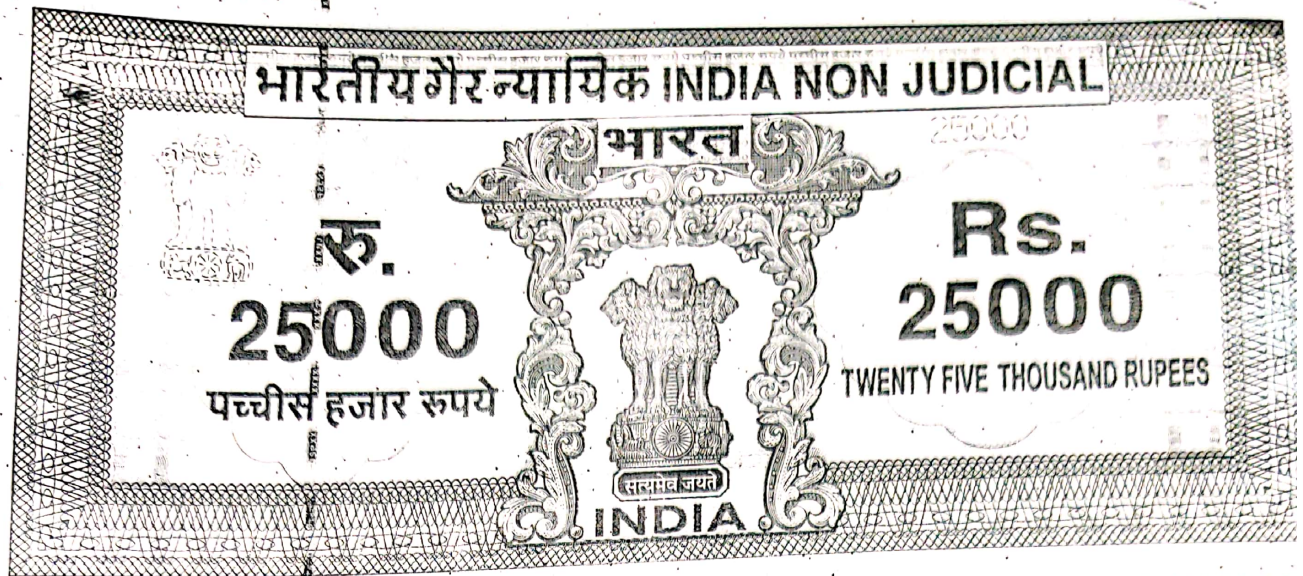
ओउम् नमः शिवाय

किस्म दस्तावेज
भूमि का प्रकार
वार्ड/परगना
मौहल्ला/ग्राम
सम्पत्ति का विवरण

विक्रय पत्र वैनामा
आवासीय प्लॉट
सदर तहसील आगरा।
मौजा बमरौली कटारा तहसील व जिला आगरा।
जो कि एक किता प्लॉट व तादाद 1076.4 वर्गगज
यानि 900 वर्गमीटर पैमाइशी 60 फुट वाई 161.47
फुट खसरा सं० 234 जो संलग्न नक्शे में मय
पैमाइशी व रंग लाल से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया
है

उत्तरा पात सिंह

AMX



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शिव

सहायक दफ्तरी

2 15/11/2015

कोषागार, आगरा

मापन की इकाई
सड़क की स्थिति
जमीन की सर्किल रेट

प्रतिफल की धनराशि
सरकारी मालियत
स्टाम्प
अन्य विवरण

E 410180

2

E 410180

वर्गमीटर
रास्ता 28 फुट चौड़ा
4600/-रुपया प्रति वर्ग मीटर
जो पृष्ठ सं० 33 पर अंकित है।
45,50,000/-रुपया।
45,54,000/-रुपया।
3,19,000/-रुपया।

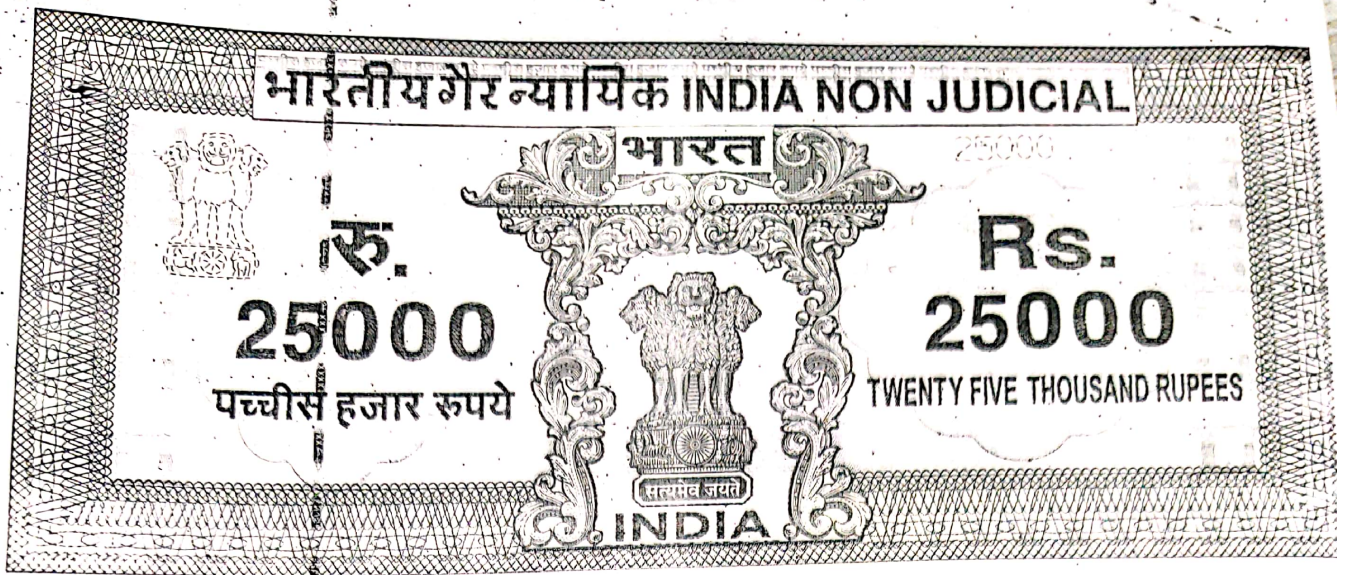
विक्रीत प्लॉट पार्क फेस का नहीं है तथा दो
रास्ते का होने के कारण निर्धारित दर का 10
प्रतिशत अरिक्त मूल्यांकन करते हुये
स्टाम्प अदा किया गया है तथा किसी तरह
का कोई निर्माण नहीं है।

उद्यम पाल सिंह



Am





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 410181

E 410181

3

शिव

सहायक दफ्तरी

1 JAN 2015

कोषागार, आगरा

निम्न सीमांकित --

पूरब
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण

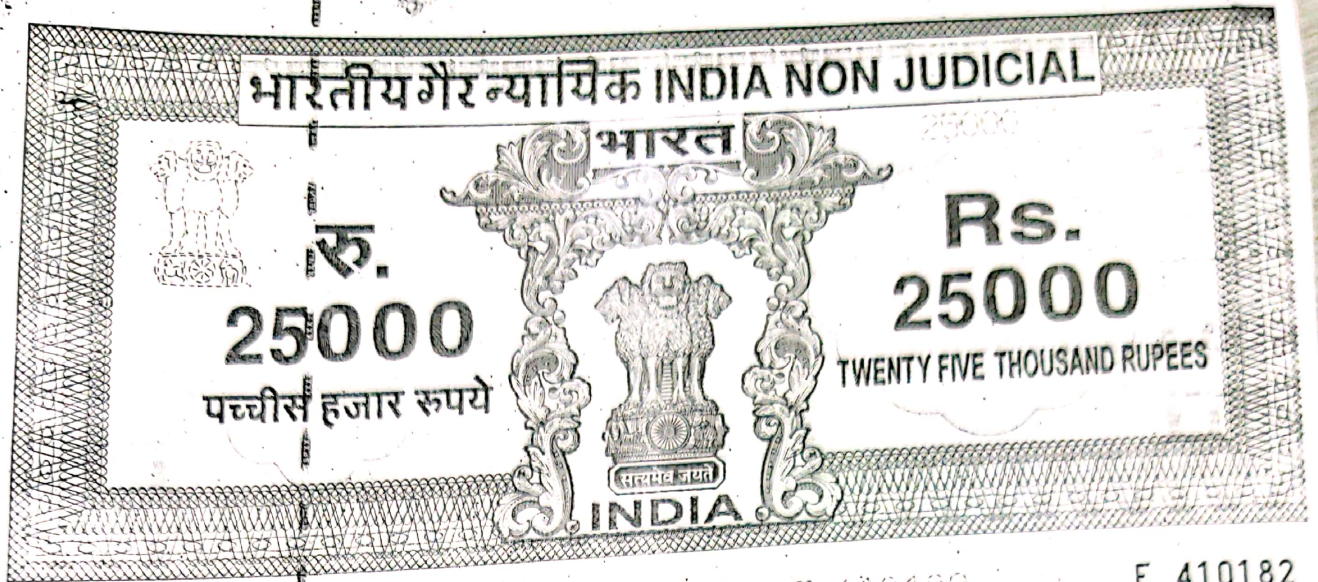
प्लाट भगवती गौतम
रास्ता 25 फुट चौडा
रास्ता 28 फुट चौडा
जमीन विक्रेता

उदयपाल सिंह



Amx





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 410182

E 410182

4

शिव

सहाय

JAN 2011

कोषागार आगरा

हमकि-

श्री उदय पाल सिंह पुत्र श्री गिराज सिंह नि० बमरौली कटारा तहसील व जिला
आगरा ---- विकेता प्रथमपक्ष। PA-10-00mPK 3201 B

एवं

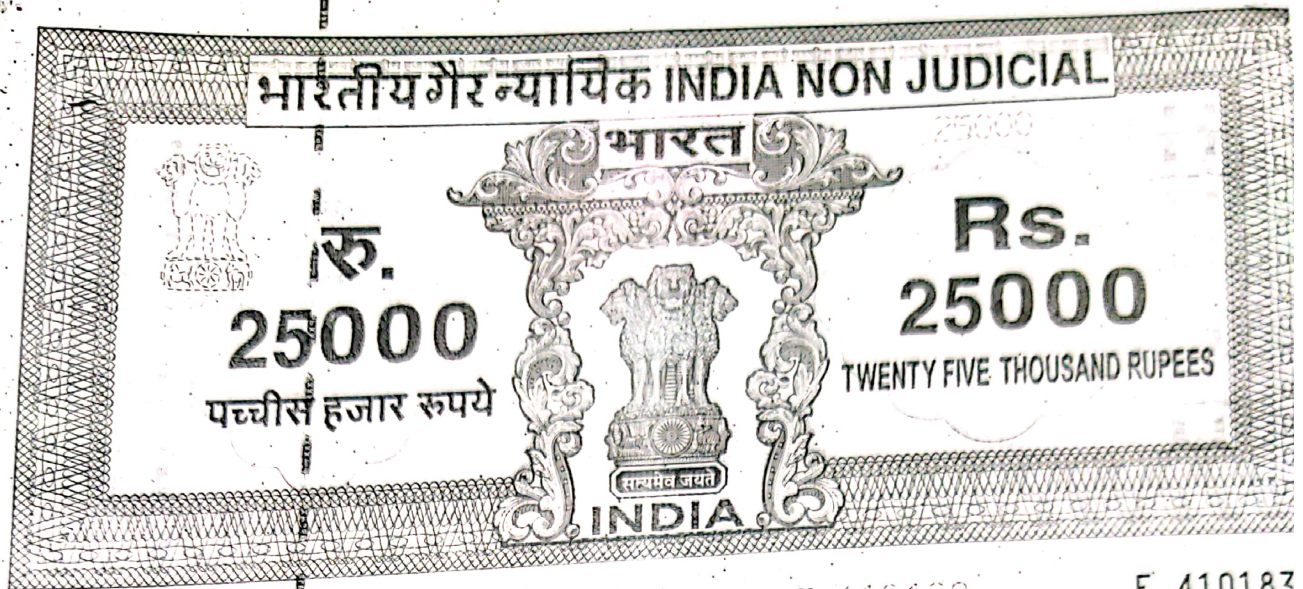
श्री अनुराग गौतम पुत्र श्री राधारमन गौतम नि० 37ए/322ए दुर्गा नगर दयाल
वाग, तहसील व जिला आगरा ---- केता द्वितीयपक्ष। PA-10-AJ-J PK 0000 F

उदय पाल सिंह



PA-10-AJ-J PK 0000 F

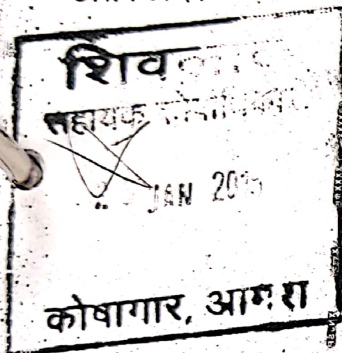




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 410183
5

E 410183

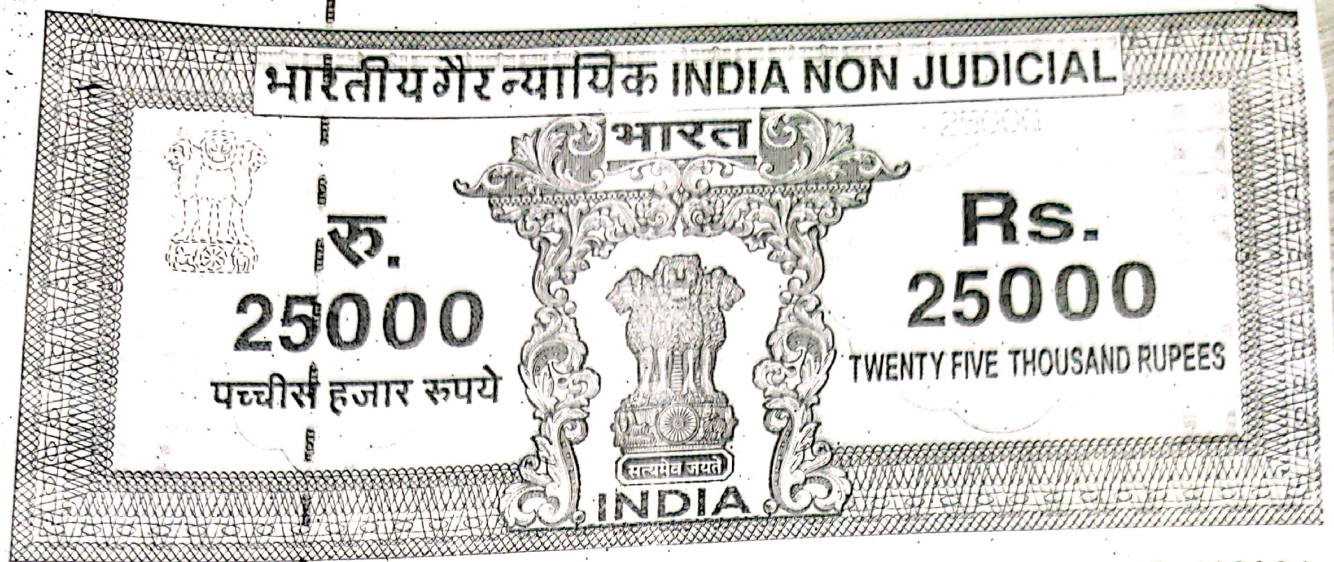


प्रलेख :-

विदित हो कि विकीत प्लाट को वसमूल दीगर जमीन के वसमूल अन्य हिस्सेदारान के मुझ प्रथमपक्ष ने वजरिये वैनामा नविशता गिराज सिंह पुत्र श्री लखमी सिंह से दि० 22/12/2007 जों कार्यालय श्रीमान उपनिबंधक आगरा में

उदय पाल सिंह

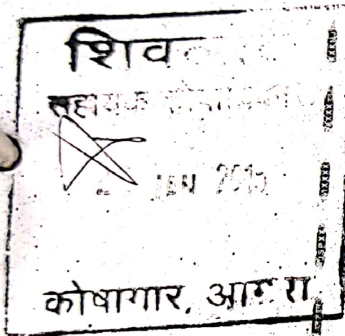




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 410184
6

E 410184



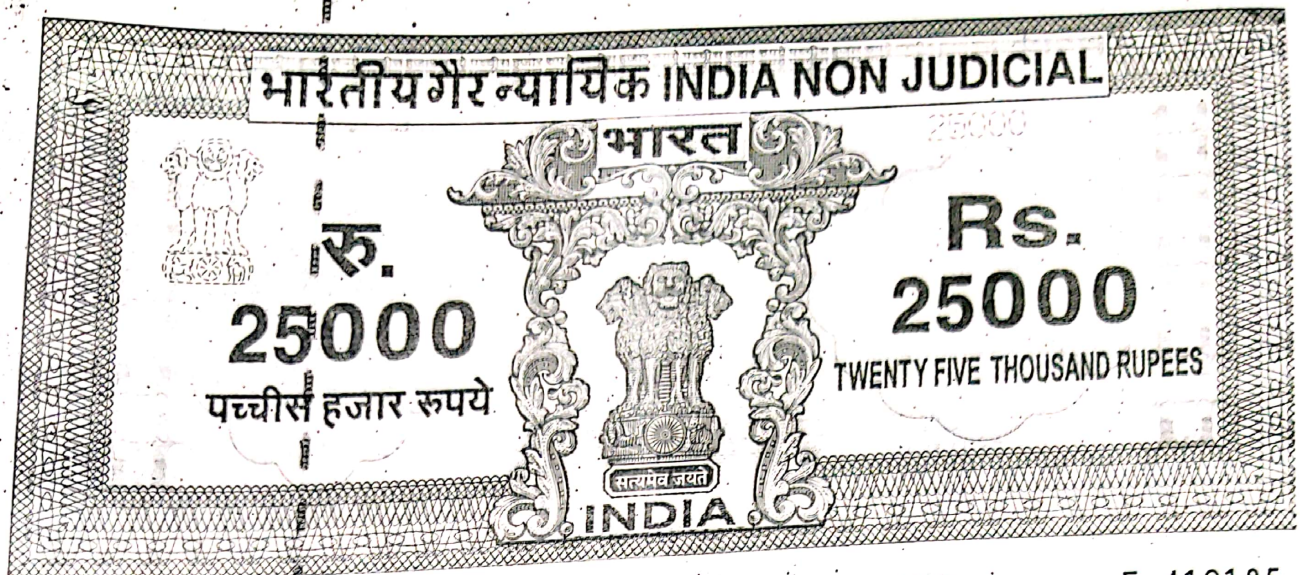
वही नं० 1 जिल्द सं० 1875 पेज नं० 133/174 नं० दस्तावेज 7488 पर दर्ज व
रजि० है के कय किया तत्पश्चात प्रथम पक्ष मालिक काविज व दखील चले आते हैं
सिवाय मेरे अन्य कोई दीगर हकदार व हिस्सेदार किसी तरह का उक्त प्लाट मे

उत्तरप्रदेश सिंह



Amx

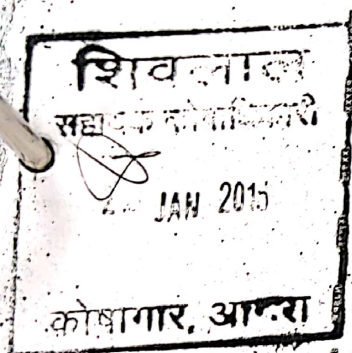




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH.

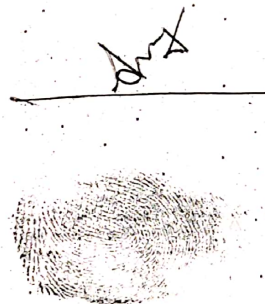
E 410185
7

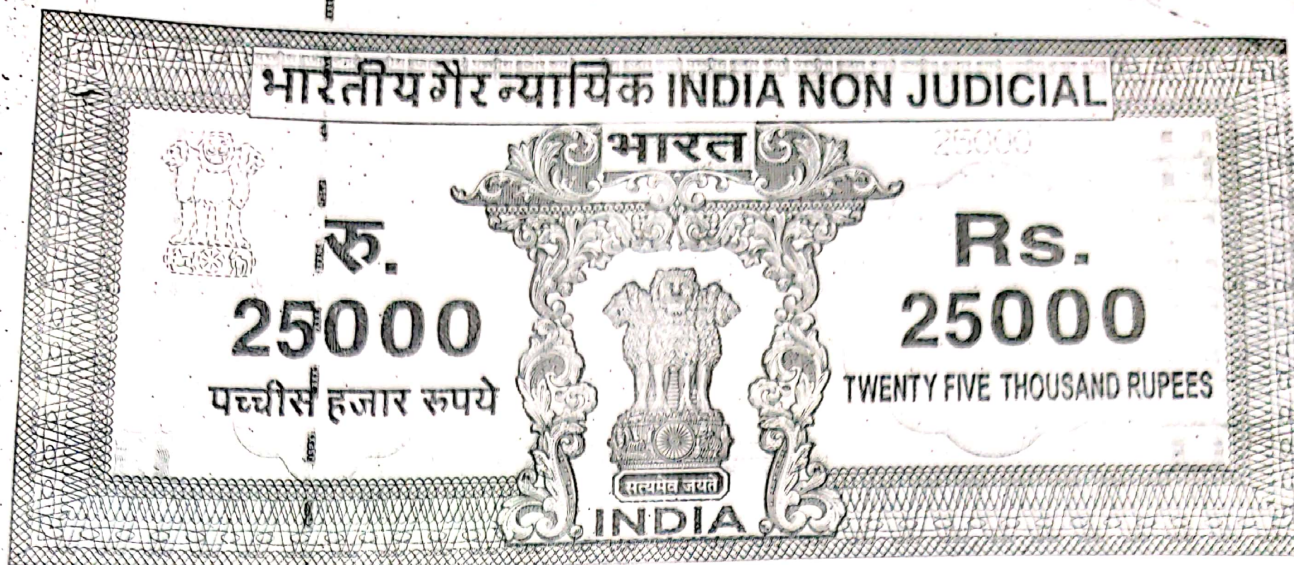
E 410185



नहीं है जो माने किसी तरह के इंतकाल वगैरा का होवे और उक्त प्लाट आज तक हर तौर के कर्जे व वार. व भार व बंधक व हिवै व मुआहिदा वैय व समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों से पाक व साफ है और किसी दीगर व्यक्ति के हक

इरफ पाल सिंह



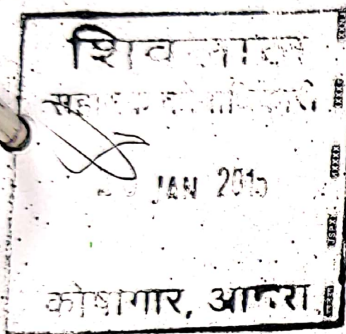


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E.410186

E 410186

8



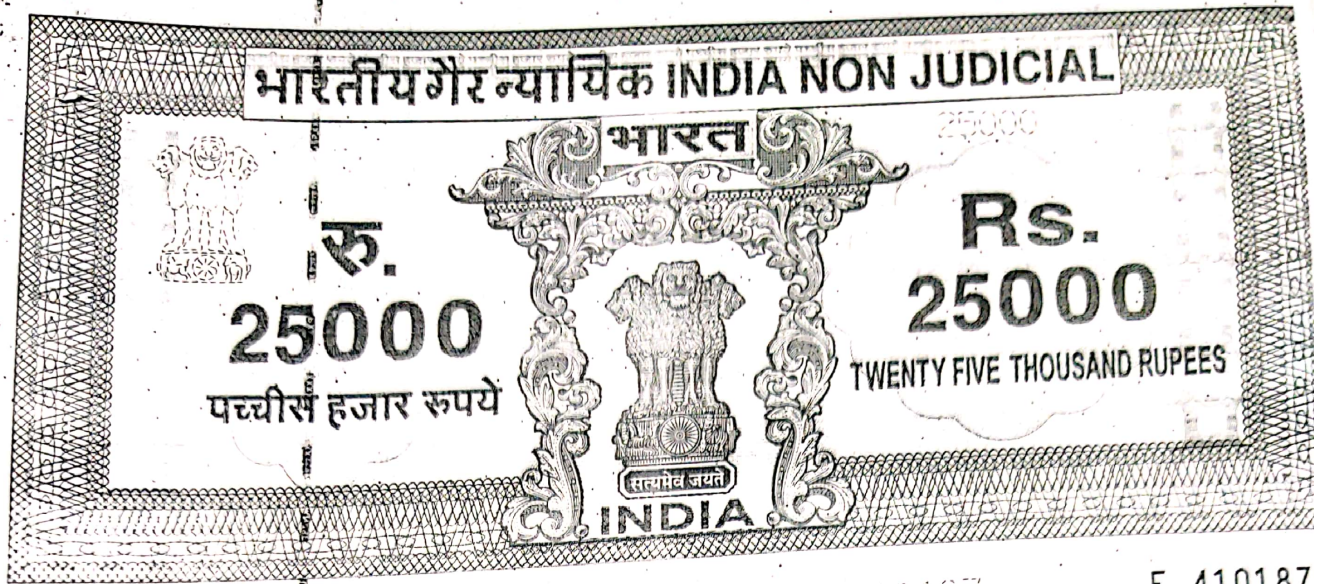
मे कोई इकरारनामा नही किया है वरन हर प्रकार से पाक व साफ है अब प्रथम पक्ष को उक्त प्लाट का विक्रय करना वास्ते जरूरत व मिलने कीमत माकूल के स्वीकार है।

उदय पाल सिंह



Ans

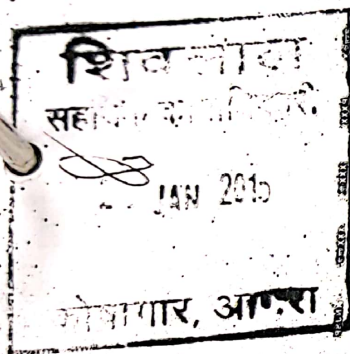




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

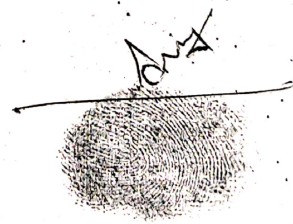
E 410187
9

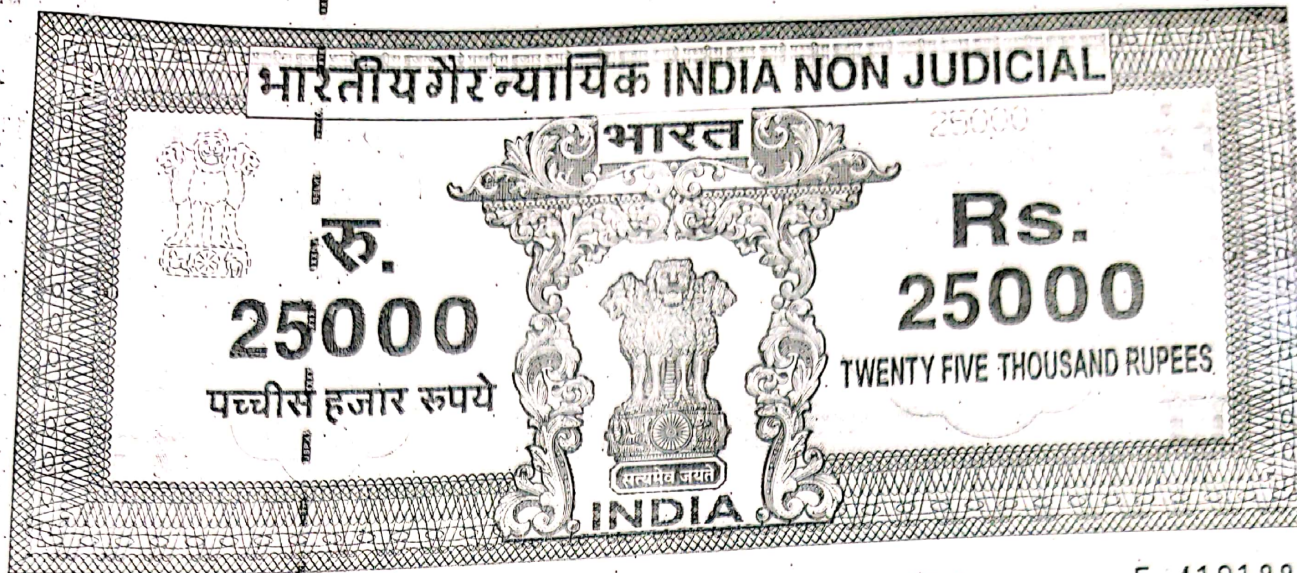
E 410187



लिहाजा मै विकेता प्रथमपक्ष अपनी राजी व खशी से खूब सोच समझकर
व विना वहकाये व सिखाये व बिना किसी दवाव नाजायज के स्वस्थ चित्त मन
बुद्धि व इद्रिय के उपरोक्त प्लाट व तादात 900 वर्गमीटर कुल को मय जुमला हक

उद्यम पाल सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 410188
10

E 410188

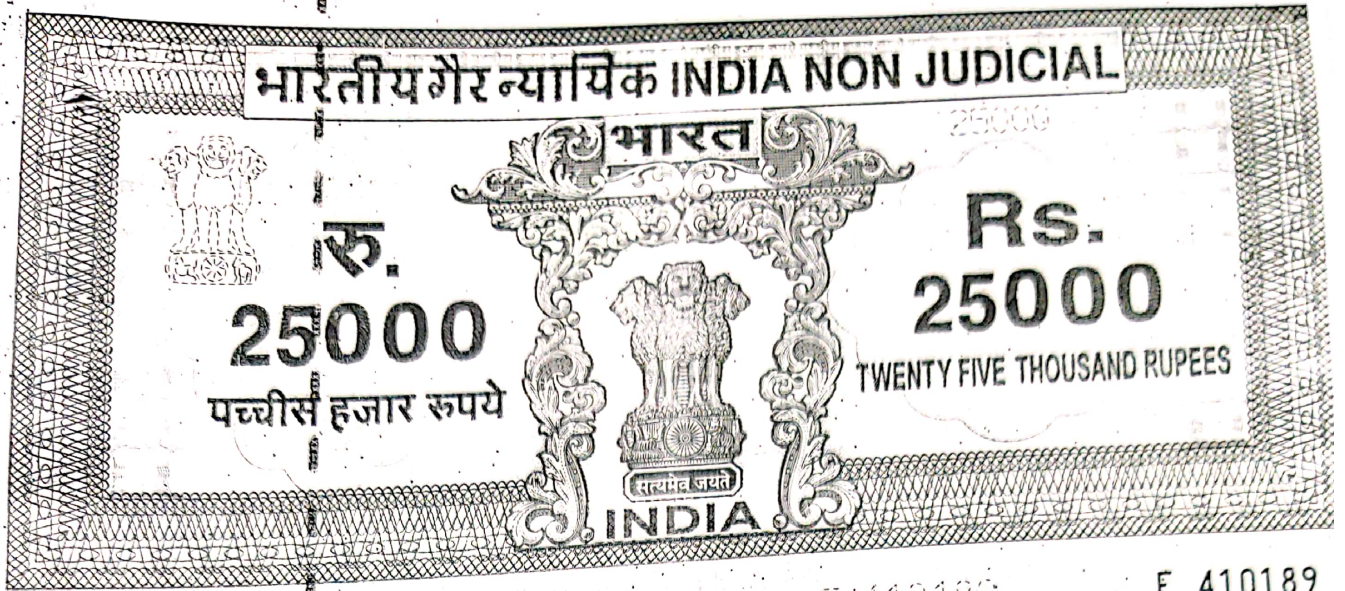
शिवलाल
सहायक कोषाधिकारी
20 JAN 2017
कोषागार, आर. स.

हकूक व दाखिली खारिजी व बिना छोडे किसी हक के मय गुडटाईटिल के व एवज मुवलिंग 45,50,000/-पैंतालीस लाख पचास हजार रुपया कि आधे जिसके मुवलिंग 22,75,000/-बाईस लाख पिचहत्तर हजार रुपया होते है मे वदस्त- श्री अनुराग गौतम पुत्र श्री राधारमन गौतम नि0 37ए/322ए दुर्गा नगर दयाल बाग,

उद्यम पालसिंह

अथ

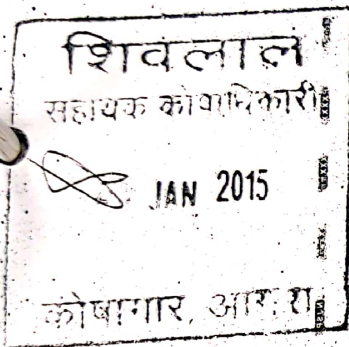




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 410189
11

E 410189

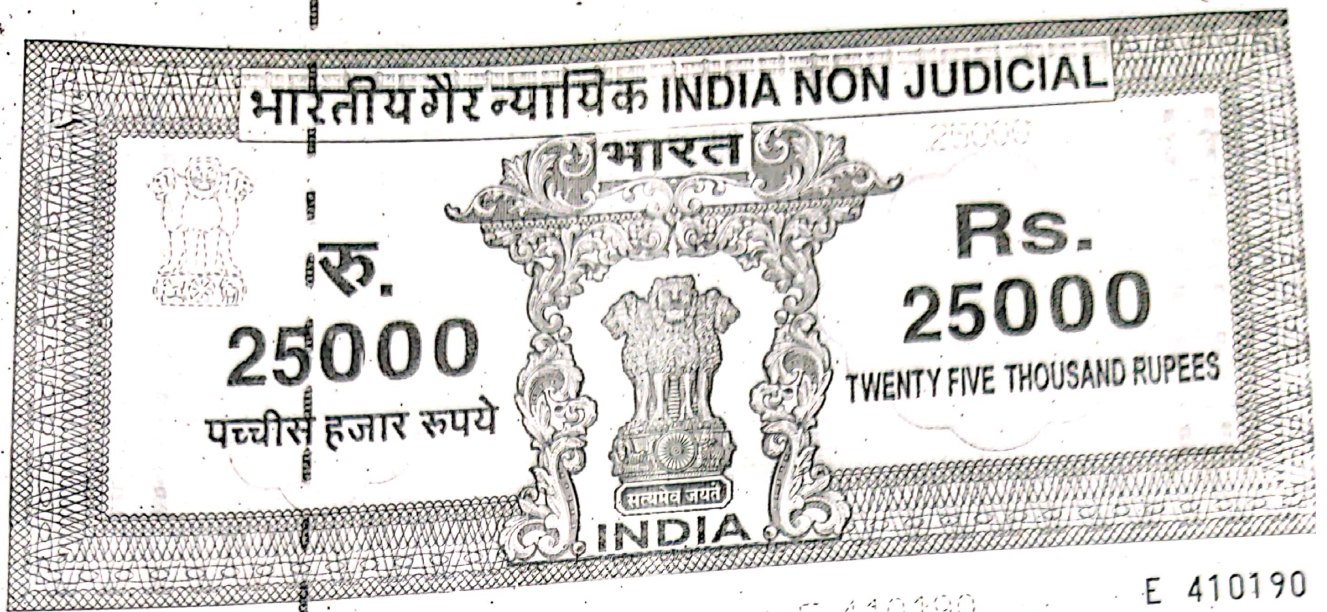


तहसील व जिला आगरा केता द्वितीय पक्ष को विक्रय किया और बेच दिया और कीमत का कुल धन प्रथमपक्ष ने द्वितीय पक्ष से नगद प्राप्त कर लिये है। इस तरह अब प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष से उक्त प्लाट की कीमत में कुछ पाना शेष नहीं रहा और न ही आयंदा होगा।

उदय पाल सिंह

द्वितीय पक्ष

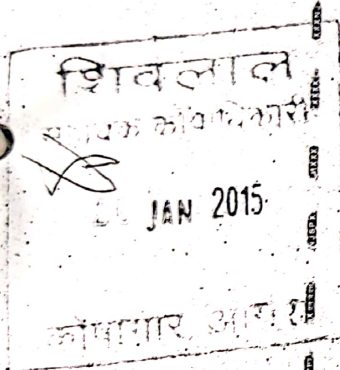




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

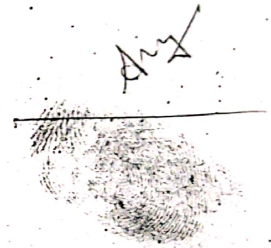
E 410190
12

E 410190



लिहाजा कब्जा व दखल विक्रीत प्लॉट पर केता द्वितीय पक्ष का करा दिया
और कतई मालिक मुस्तकिल काविज व दखील बना दिया और अब केता द्वितीय
पक्ष को पूर्ण हक व अधिकार है कि वह विक्रीत प्लॉट से वहैसियत पूर्ण स्वामी के

उद्यम पाल सिंह



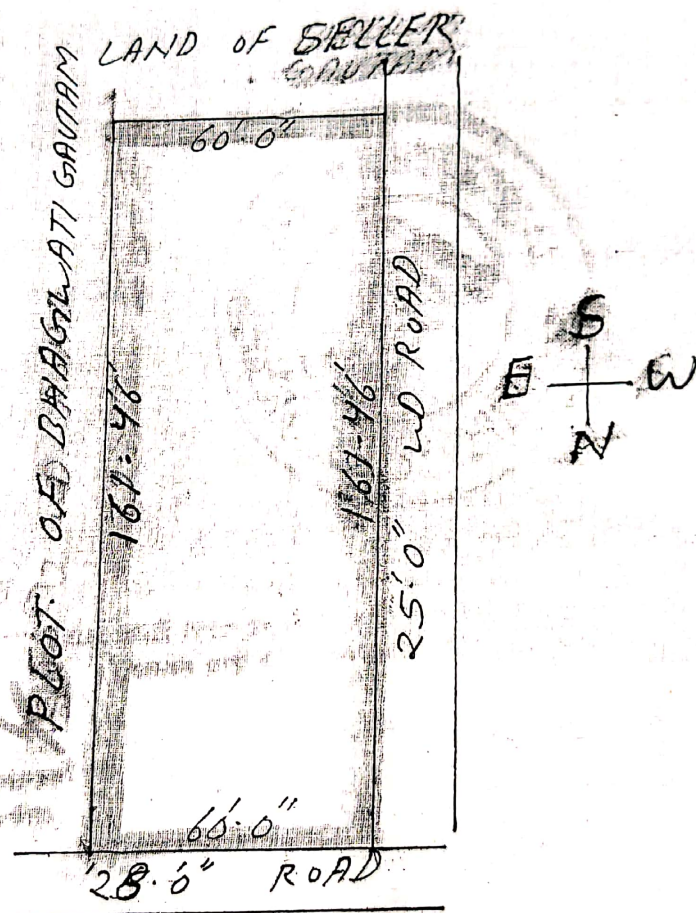
SITE PLAN OF LAND SITUATED
AT BAMROLI KATARA TEH & DISTT
KH. NO.

SELLER: SRI. UDAY PAL SINGH

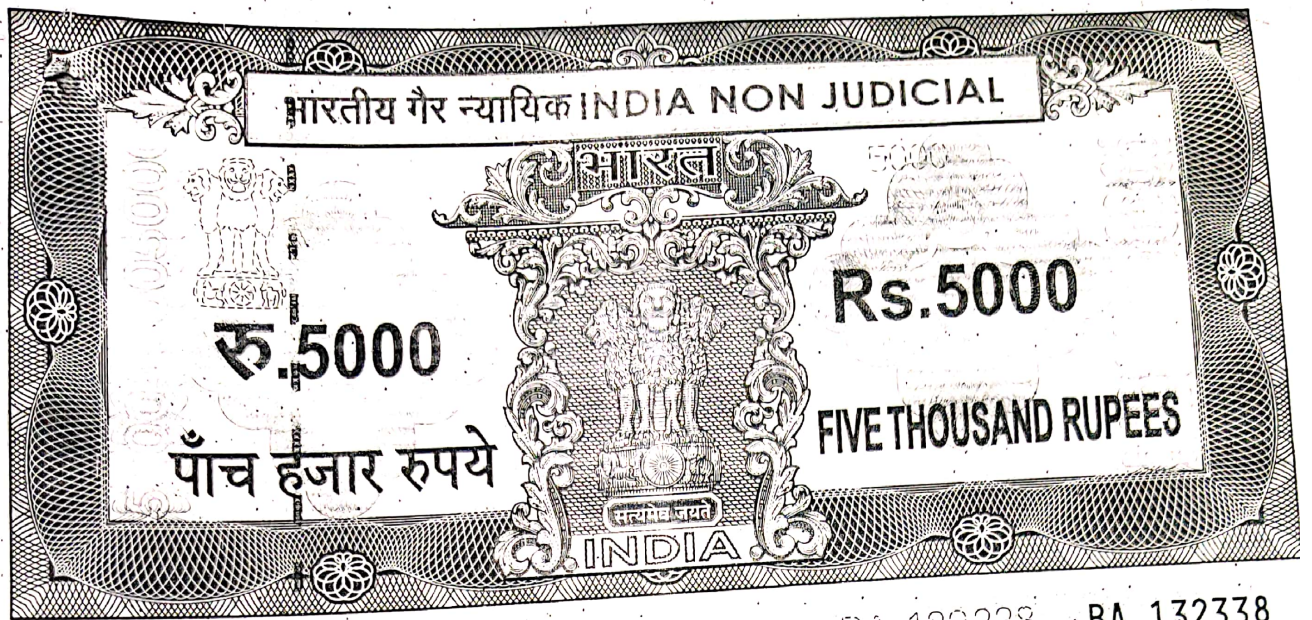
PURCHASER: SRI GAUTAM

(SHOWN IN RED COLOUR)

AREA: 1076.42 SQY
1900.00 SQM



TRACED
BY
K



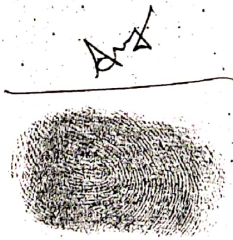
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

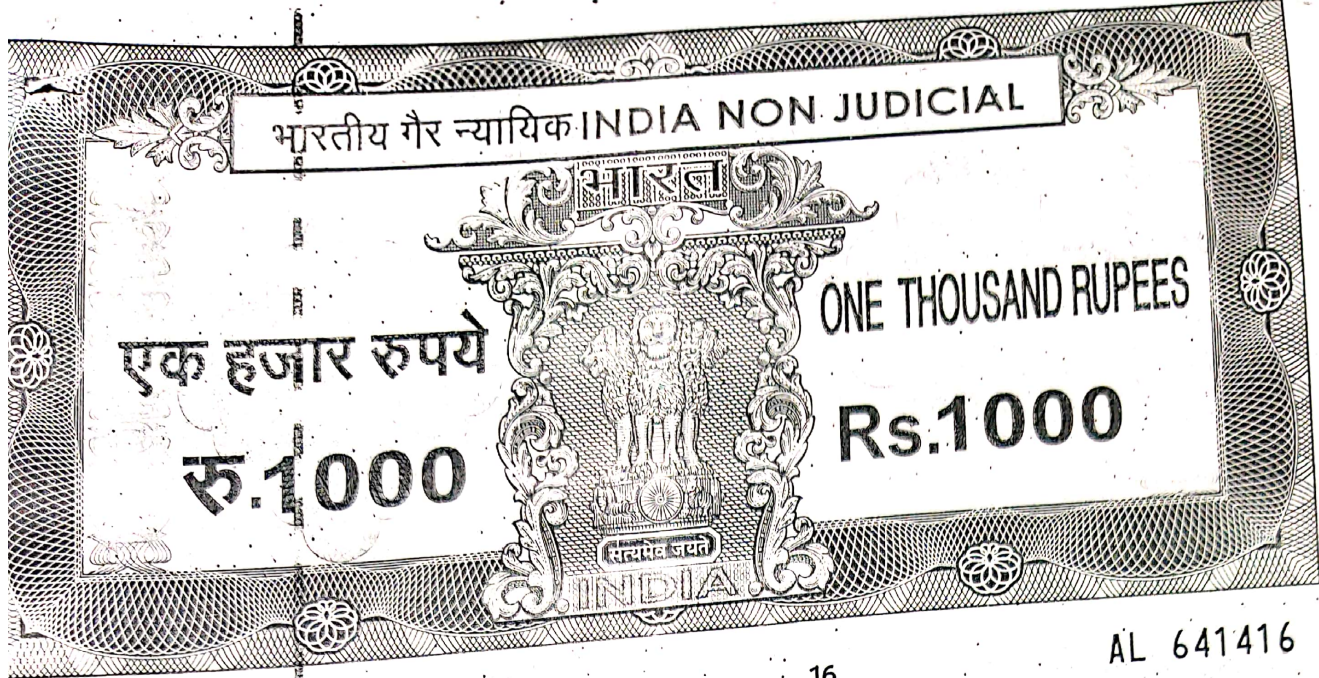
13 BA 132338 BA 132338

सत्येन्द्र पाल
कोषाधिकारी
19 JAN 2015
कोषागार, भारत

जिस प्रकार चाहें लाभांशित होवे उसमें निर्माण करे व खुद आबाद हो या किराये पर उठावे या रहन व वैय वगेरा जो चाहें सो करे कुछ उज्र न होगा तथा खरीदार अपने नाम का नामांकन सम्बंधित विभाग में जरिये बैनामा हाजा के दर्ज करा ले कुछ उज्र न होगा।

उद्यय पाल

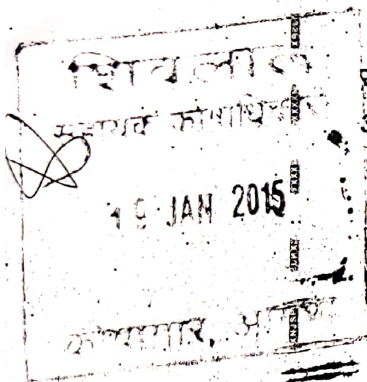




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

AL 641416



विकीत प्लॉट की जमीन नजूल व राजकीय आस्थान व देव स्थान की सम्पत्ति नहीं है। जिसको किसी वाद में अतिरिक्त भूमि घोषित नहीं किया गया है और न ही उसका कोई मुआवजा प्राप्त किया गया है।

उदय पाल सिंह

ANX



11

7201

23-1-15

31/3-21/25 11/1/15 - 7200

कोष की किताब की तिथि
कोष की किताब की तिथि
कोष की किताब की तिथि
कोष की किताब की तिथि

कोष की किताब की तिथि
कोष की किताब की तिथि
कोष की किताब की तिथि
कोष की किताब की तिथि

आज दिनांक 29/01/2015 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 6897
पृष्ठ सं. 161 से 200 पर क्रमांक 989
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

m. shank

एम शास्त्री

उप निबन्धक तृतीय

सदर आगरा

29/1/2015

